निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 20 / 2020
दायरा दिनांकः–27.02.2020
निर्णय दिनांकः– 25.9.24

उनवान

भूरी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री मांगीलाल पत्नि हरीश भार्गव जाति ब्राहम्ण निवासी बमोरा हाल मुकाम छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. शम्भूदयाल आयु 55 वर्ष पुत्र मांगीलाल भार्गव जाति ब्राहम्ण
2. लड्डुलाल आयु 52 वर्ष पुत्र मांगीलाल भार्गव जाति ब्राहम्ण
3. कमलप्रसाद आयु 49 वर्ष पुत्र मांगीलाल भार्गव जाति ब्राहम्ण
4. मुन्नी बाई आयु वर्ष पुत्री मांगीलाल भार्गव जाति ब्रहम्ण
5. लीला आयु वर्ष पुत्री मांगीलाल भार्गव जाति ब्राहम्ण
6. सुनिता आयु वर्ष पुत्री मांगीलाल भार्गव जाति ब्राहम्ण निवासीगण बमोरा तहसील छबडा जिला बारां राज.
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 25.9.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री उमाशंकर गोस्वामी – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 व 6 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा न. 465 रकबा 12 बिस्वा, खसरा न. 462 रकबा 2 बीधा 2 बिस्वा, व खसरा न. 563 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कुल 3 किता कुल रकबा 6 बीधा 07 बिस्वा माल ग्राम बमोरा तहसील छबड़ा जिला बारां राज. में अवस्थित है। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित है। जिसमे वादीया का हिस्सा 1/7 हैं तथा शेष हिस्सा सहखातेदार प्रतिवादी के नाम अंकित है। जो संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। वादीया अपने पति व बच्चो के साथ छबडा मे निवास करती हैं उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से वादीया अपनी आराजी का शान्तीपूर्वक काश्त नहीं कर पा रही हैं वादीया अपने हिस्से को आराजी को उच्च तकनीक से विकास करना चाहती है जिसके लिऐ उसे भूमि के विभाजन व हद बन्दी सुरक्षा कराना आवश्यक है। जिसका वादीया वैधानिक अधिकारी है। इसलिए मुताबिक खातेदारी का शान्तिपूर्वक विभाजन बटवारा करा कर अपना खाता अलग

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कराना चाहती है जो न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। वादीया के हिस्से की भूमि का विभाजन बटवारा पैमाइश को लेकर वादीया व प्रतिवादी के मध्य कई बार विवाद उत्पन्न हो चुके हैं। जिसके कारण आपस में हर समय लडाई–झगडे की सम्भावना रहती हैं तथा भविष्य मे कोई विवाद अनहोनी या दुर्घटना ना हो इसलिए मुताबिक रेवेन्यू रिकार्ड खातेदारी का शान्तीपूर्वक विभाजन बटवारा करा कर अपना खाता अलग कराना चाहती है जो न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। उक्त विवादीत आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30.01.2020 को वादीया के हिस्से की उक्त आराजी का अन्तरण बैचान करने का असफल प्रयास तो वादीया ने प्रतिवादी से भूमि का बटवारा कराने की बात की तो प्रतिवादीगण आक्रोश में आ गऐ विभाजन कराने से साफ इन्कार कर तथा वादीया एवं उसके परिजनो को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने व उक्त सम्पूर्ण भूमि का वैचान करने की धमकी दी। इसलिए वादीया अपने हिस्से की उक्त आराजी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग व मे बाधा उत्पन्न नहीं करने बावत प्रतिवादीगण को द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहती है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। वादीया अपनी आराजी का शान्तीपूर्वक उच्च तकनीक का विकास, हद बन्दी सुरक्षा कराना चाहती हैं। जिसका वादीया वैधानिक अधिकारी है। इसलिए मुताबिक खातेदारी उक्त भूमि का विभाजन बटवारा पैमाइश करा कर अपना खाता अलग कराना चाहती है जिसका वादीया वैधानिक अधिकार है। जो न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। वादीया द्वारा उनके हिस्से की भूमि के विभाजन कराने व शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् प्रतिवादी को कई बार समझाया गया इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर वादीया द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। वाद कारण दिनांक 1 दिनांक 30.01.2020 को वादीया के हिस्से की उक्त आराजी का अन्तरण वैचान करने का असफल प्रयास तो वादीया ने प्रतिवादी से भूमि का बटवारा कराने की बात की तो प्रतिवादीगण आक्रोश में आ गऐ विभाजन कराने से साफ इन्कार कर तथा वादीया एवं उसके परिजनो को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने व उक्त सम्पूर्ण भूमि का बैचान करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ ।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 12.07.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 238 पेश की गई साक्ष्य वादी में भूरीबाई उर्फ मिथलेश, शिवशंकर का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई बहस के दौरान वकील वादीया द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें वादीया का 1/7 हिस्सा निहित है वादीया अपने पति व बच्चों के साथ छबडा में निवास करती है वादीया अपने हिस्से की आराजी को उच्च तकनीकी से विकास

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

करना चाहती है जिसके लिए भूमि का विभाजन आवश्यक है वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि को लेकर कई बार विवाद हो चुका है वादीया मुताबिक रेवेन्यू रिकार्ड अपने हिस्से की भूमि का बटवारा कराकर अपना खाता अलग कराना चाहती है प्रतिवादीगण बिना बटवारा कराये भूमि का बेचान करने की धमकी देता है वादीया का वाद स्वीकार कर वादीया का हिस्सा पृथक–पृथक विभाजन कर अलग खाता दर्ज किया जावे। ताकि वादीया अपने हिस्से की भूमि को उन्नत बना सके।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 238 में वादीया एवं प्रतिवादीगण का नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है कि वादीया का हिस्सा 1/7 दर्ज रिकार्ड है वादीया अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराना चाहती है वादीया की भूमि शामलाती खातेदारी में होने से अपनी भूमि का विकास नही कर पा रही है भूमि शामलाती खातेदारी में होने से वादीया को कई परेशानियों का सामना करना पडता है वादीया अपने हिस्से की भूमि का अच्छी में अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का पृथक–पृथक बटवारा कराना चाहती है वादीया मुताबिक राजस्व रिकार्ड अपना हिस्सा 1/7 पृथक–पृथक विभाजन कराकर अलग खातेदारी में दर्ज कराने की अधिकारी है वादीया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 465 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 562 रकबा 2.02 बीघा खसरा नम्बर 563 रकबा 3.13 बीघा कुल 3 किता रकबा 6.07 बीघा में वादीया का हिस्सा 1/7 अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि कब्जे व रास्ते को ध्यान में रखतें हुए पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

18.12.24

पत्रावली पेश हुई। वकील कार्य उप०/ तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त को शा० किये गये प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से वकील डिक्रीदार संतुष्ट है प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी मौजा ग्राम बमोरा तह० छबड़ा का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन विभाजनुसार किया जाता है।

नाम खातेदार

		ख.नं.	रकबा
1	भूरीबाई पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण नि. बमोरा - रहन.. भूमि विकास बैंक शाखा छबड़ा	562	0.0758
		563	0.1318
		465	0.0217
	कुल किता	3	0.2293 हे०

कार्यवाही एवं आदेश			विविध संदर्भ
रामदयाल, लड्डूलाल, कमलप्रसाद पुत्रान मांगीलाल, मुन्नीबाई, लीला, सुनीता पुत्रीयां मांगीलाल ठि० बरावर जाति ब्राह्मण सा. बमोरा रहन:- भूमि विकास बैंक शाखा छबड़ा	562 563 465	0.4553 0.7914 0.1301	
कुल किता 3		1.3768 हे०	

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबड़ा को आदेशित किया जाता है तदनुरूप अंतिम डिक्री पर्चा जारी है। निर्णय आज इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 20/202	धारा अन्तर्गत 53 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 18.09.2024 18-12-24
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः–श्री उमाशंकर गोस्वामी	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

भूरी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री मांगीलाल पत्नि हरीश भार्गव जाति ब्राहम्ण निवासी बमोरा हाल मुकाम छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. शम्भूदयाल आयु 55 वर्ष पुत्र मांगीलाल भार्गव जाति ब्राहम्ण
2. लड्डुलाल आयु 52 वर्ष पुत्र मांगीलाल भार्गव जाति ब्राहम्ण
3. कमलप्रसाद आयु 49 वर्ष पुत्र मांगीलाल भार्गव जाति ब्राहम्ण
4. मुन्नी बाई आयु वर्ष पुत्री मांगीलाल भार्गव जाति ब्रहम्ण
5. लीला आयु वर्ष पुत्री मांगीलाल भार्गव जाति ब्राहम्ण
6. सुनिता आयु वर्ष पुत्री मांगीलाल भार्गव जाति ब्राहम्ण निवासीगण बमोरा तहसील छबडा जिला बारां राज.
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है किः–

विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	लगान	दिशा
1. भूरीबाई पुत्री मांगीलाल जाति ब्राहम्ण सा0देह बमोरा रहन भूमि विकास बैंक शाखा छबडा	562	0.0758	–	–
	563	0.1318	–	–
	465	0.0217	–	–
	किता –3	0.2293 है	–	–
शम्भूदयाल, लड्डु, कमलप्रसाद पुत्रान मांगीलाल, मुन्नीबाई लीला सुनिता पुत्रिया मांगीलाल हिस्सा बराबर जाति ब्राहम्ण सा0देह बमोरा रहन ::– भूमि विकास बैंक शाखा छबडा	562	0.4553	–	–
	563	0.7914	–	–
	465	0.1361	–	–
	किता 3	1.3768 है0	–	–

उपरोक्तनुसासर विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जात है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 18-12-24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला ...

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		